

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 3647 / 22 / वि-12 / ग्रासप्रा / IT-1 / 19 भोपाल दिनांक 20 / 03 / 2019

प्रति

महाप्रबंधक (समस्त),
परियोजना क्रियान्वयन इकाई,
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
.....(म.प्र.)

विषय :- ई-मार्ग एवं जियो-रीच पर PFMS के माध्यम से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में ई-मार्ग एवं जियो-रीच में किए जाने वाले भुगतान PFMS के माध्यम से किए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त व्यवस्था में संबंधित महाप्रबंधक द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट (DSC) Enroll किए जाते हैं, जो एक नियत दिनांक तक वैध होते हैं।

NIC द्वारा यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि डिजिटल सिग्नेचर सार्टिफिकेट (DSC) की वैधता समाप्त (Expire) होने की दिनांक से 3 दिन पूर्व संबंधित महाप्रबंधक द्वारा कोई भी भुगतान न किया जाए (PFMS को अग्रेषित न किया जाए)। उदाहरण के लिए यदि DSC की वैधता समाप्ति दिनांक 21 मार्च है तो दिनांक 18 मार्च के पश्चात् कोई भुगतान न किया जाए।

उपरोक्त की स्थिति में संबंधित महाप्रबंधक द्वारा पूर्व से ही नवीन DSC बनवाने तथा उसे जियो-रीच पोर्टल पर जियो-रीच तथा ई-मार्ग हेतु रजिस्टर/Enroll करने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावे।



मुख्य महाप्रबंधक(निविदा एवं ई-गवर्नेंस)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ.क्र. 3648 / 22 / वि-12 / ग्रासप्रा / IT-1 / 19 भोपाल दिनांक 20 / 03 / 2019

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख अभियंता, म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, (म.प्र.)
3. श्री विवेक चितले, अतिरिक्त राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन, भोपाल(म.प्र.)

- की ओर सूचनार्थ ।



मुख्य महाप्रबंधक (निविदा एवं ई-गवर्नेंस)
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल